भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 236

उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के तहत सरकारी विद्यालय में नामांकन

†*236. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+)' 2024-25 के आंकड़ों का संज्ञान लिया है जिनमें यह दर्शाया गया है कि देश भर में सभी विद्यालयों में लगभग 70 प्रतिशत सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें कुल नामांकित छात्रों में से आधे से भी कम छात्र नामांकित हैं (लगभग 49 प्रतिशत) तथा इससे सरकारी विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति का पता चलता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश के सरकारी विद्यालयों में अवसंरचना, छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) और बच्चों की शिक्षा निरंतर बनाए रखने की दर में सुधार लाने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश के सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्रों के एक समान नामांकन के लिए धनराशि आवंटित करने और कोई स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित किए जाने की संभावना है/किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(**श्री धर्मेंद्र प्रधान**)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

माननीय संसद सदस्य श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के तहत सरकारी विद्यालय में नामांकन' के संबंध में दिनांक 09/03/2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 236 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) के अनुसार, 1471473 स्कूलों में से सरकारी स्कूलों की कुल संख्या 1013322 (68.9%) है और कुल नामांकन 246932680 में से इन सरकारी स्कूलों में नामांकन 121589911 (49.2%) है। सरकारी स्कूलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

स्कूल/ नामांकन	सरकारी				
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक	कुल
स्कूल	618398	271408	52659	70857	1013322
नामांकन	36097945	39416099	11478846	34597021	121589911
स्कूलों का प्रतिशत	61.03	26.78	5.20	6.99	100.0
नामांकन का प्रतिशत	29.69	32.42	9.44	28.45	100.0

(ख) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिसंख्य स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे समग्र शिक्षा, स्टार्स और पीएम श्री के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) डेटाबेस से निर्धारित कमियों और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अतिरिक्त कक्षाओं, बालकों/बालिकाओं/सीडब्ल्यूएसएन के लिए शौचालयों, पेयजल, बिजली, चहारदीवारी, पुस्तकालय, आईसीटी और डिजिटल कक्षाओं जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण और संवर्धन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक वर्ष वृद्धिशील आधार पर तैयार किया जाता है और उनके वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में दर्शाया जाता है। तत्पश्चात इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रमात्मक और वित्तीय मानदंडों, पूर्व अनुमोदित

निर्माण की वास्तविक व वित्तीय प्रगति तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से सरकार, एनईपी, 2020 और समय-समय पर यथा संशोधित निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों हेतु उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत इन मध्यवर्तनों का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संस्थाओं (टीईआई) में भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना; राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को सहायता प्रदान करना है ताकि वे स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एसई) के अनुवर्ती के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा, अनुसंधान और राज्य-विशिष्ट पाठ्यक्रम रूपरेखा का प्रभावी तरीके से और कुशलतापूर्वक विकास कर सकें; जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के अधिकारियों की क्षमता निर्माण; बीआरसी/सीआरसी आदि के माध्यम से स्कूलों को निरंतर शैक्षणिक सहायता प्रदान कर सकें।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार 'समग्र शिक्षा' की केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत बालवटिका से कक्षा 8 तक पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करती है। सरकारी स्कूलों में ड्रॉपआउट को कम करने और नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/उन्हें सुदृढ़ करना, स्कूल की अवसंरचना को सुदृढ़ करना, 12 वीं कक्षा तक के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और स्तरोन्नयन व संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यवसायपरक शिक्षा और

आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और निःशुल्क यूनिफार्म, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा आदि उपलब्ध कराना शामिल है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण और साधन हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करना भी शामिल है।

यूडाइज+ के अनुसार, विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाओं वाले सरकारी स्कूलों का प्रतिशत, शिक्षा के स्तर के अनुसार सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात और वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए शिक्षा के स्तर और लैंगिक आधार पर समग्र प्रतिधारण दर https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

*****